

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/62/2018-19/ **59321**

दिनांक: **14/02/2019**

अल्प कालीन ई-बोली आमंत्रण सूचना

सुरक्षाकर्मियों के उपयोगार्थ वर्दी सामग्री क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है, ई-बोली दिनांक 15/02/2019 को सांयकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि	15/02/2019 को सांयकाल 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	15/02/2019 को सांयकाल 5.00 PM से
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	20/02/2019 को प्रातःकाल 11.00 AM तक
4.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	20/02/2019 को दोपहर 1.00 PM तक
5.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	20/02/2019 को दोपहर 2.00 PM
6.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण बोली की वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाईट www.home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। **UBN No: JLD1819GLOB00071 to JLD1819GLOB00091**

(रूपिन्दर सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/62/2018-19/ **59322-54**

दिनांक: **14/02/2019**

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव.....।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय (समस्त)।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 5 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई-बोली को एसपीपीपी एवं ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/62/2018-19/ **59321**

दिनांक: **14/02/2019**

अल्प कालीन ई-बोली आमंत्रण सूचना

सुरक्षाकर्मियों के उपयोगार्थ वर्दी सामग्री क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है, ई-बोली दिनांक 15/02/2019 को सांयकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि	15/02/2019 को सांयकाल 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	15/02/2019 को सांयकाल 5.00 PM से
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	20/02/2019 को प्रातःकाल 11.00 AM तक
4.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	20/02/2019 को दोपहर 1.00 PM तक
5.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	20/02/2019 को दोपहर 2.00 PM
6.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण बोली की वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाइट www.home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।

(रूपिन्दर सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/के.भं./क्रय/62/2018-19/ **59322-54**

दिनांक: **14/02/2019**

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव.....।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय (समस्त)।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 5 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई-बोली को एसपीपीपी एवं ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

बोली की मुख्य शर्तें

1. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
2. बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस. एल. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।
 1. यदि बोली की लागत राशि रुपये 50.00 लाख से कम है—रुपये 500/- प्रति बिडर प्रति बोली
 2. यदि बोली की लागत राशि रुपये 50.00 लाख से अधिक है—रुपये 1000/- प्रति बिडर प्रति बोली
3. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग-अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा 20.02.2015 को सायंकाल 1.00 PM तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।
4. क्वालिफाईंग बिड (तकनीकी) में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालिफाईड बिड (तकनीकी) खुलने की दिनांक से 03 कार्यालय दिवस के अंतर्गत खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
5. जो बोलीदाता ई-बोली (e-Tender) में भाग लेना चाहते हैं सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II or Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. **निर्माता द्वारा बोलीयों :-**
 - (i) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित आइटम के लिए बोली, सम्बन्धित आइटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सैलिंग एजेन्ट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट— 'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्कैन किये जायेंगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।
8. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु:-**
 - (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।
 - (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन-II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।
 - (iii) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 - (iv) ई-बोली विस्तृत आमंत्रण सूचना में क्रम संख्या 01 से 13 तक वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म एवं लघु" उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है। क्रम संख्या 14 से 21 तक पर सामग्री में अन्य बोलीदाता भी भाग ले सकते हैं।

- (v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।
- (vi) वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय अद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप "क" मय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9 राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-66 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एम.एस.एम.ई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों नियमानुसार प्रदान की जावेगी।
10. बोली के साथ बोलीदाता जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4(i) (ii) देखें) की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करेंगे।
11. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।
12. दरों की वैधता - प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
13. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सफ़ाई करने या आंशिक सफ़ाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपद्धत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
14. किसी वस्तु के व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
16. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट- अ,ब,स,द तथा इ एवं अनुलग्नक-अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक-अ, ब, स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ स्कैन करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
17. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय कय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
18. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
19. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथा आवश्यकता/स्थानानुसार लागू रहेंगे।
20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राज. जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
21. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :-
1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2601047 ई-मेल generaljhhq@gmail.com
 2. उप अधीक्षक, भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141-2619202 ई-मेल generaljhhq@gmail.com

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता	
3.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति स्कैन कर संलग्न की जावे)	
4.	बिक्रीकर बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
5.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक, बैंक का नाम एवं राशि)	
6.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
7.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्कैन कर "तकनीकी निविदा" हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करें)

नाम फर्म
पता :-

बोलीदाता के हस्ताक्षर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर

(बोली प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड) —

परिशिष्ट "अ"

घोषणा

बोली आमंत्रण क्रमांक:

दिनांक :-

- (I)के लिए बोली
(खाली स्थान में उस आइटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-.....
का नाम व डाक का पूर्ण पता :-.....
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :-.....
- (III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
- (IV) सन्दर्भ :- बोली आमंत्रण संख्या:-.....
दिनांक
- (V) बोली प्रपत्र शुल्क :- राशि रुपये बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।
- (VI) प्रोसेसिंग फीस :-राशि रुपये..... डीडी नं..... दि0.....
जमा करा दी है।
- (VII) हम बोली आमंत्रण संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय
शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" व "द" तथा परिशिष्ट "ई" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते
हैं।
- (VIII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित सप्लाय अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर
दी जाएगी।
- (IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से 90
दिन तक विधि मान्य है।
- (X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट "ई" में अंकित स्पेसिफिकेशन
के लिये हैं।
- (XI) हमारा राजस्थान जीएसटी पंजीयन संख्या है और वेट/केन्द्रीय बिक्री कर
पंजीयन संख्या..... है।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में
विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।
- (XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक
दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-



S.N.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No	Date of issue/ Validity
1-	Whether tender document fee is submitted with e-Bid. Provide details Banker Cheque/ DD no..... dt.....		
2-	Whether Bid Security document submitted with e-Bid. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt No..... dt..... amount		
3-	Whether agreed with all Bid conditions		
4-	Whether annexure – D & E have been downloaded, signed and submitted with e-Bid		
5-	Whether sales GST Registration certificate is submitted with e-Bid		
6-	Whether sales tax/VAT clearance certificate affidavit is submitted with e-Bid		
7-	Whether Micro or Small Enterprises registration EM-II/Udyog Adhar certificate issued by the Govt. of Rajasthan is submitted with e-Bid.		
8-	For price preference or Purchase preference or both under Notification dated 19.11.2015 wheather Form 'A' as prescribed in rule 10 of the above Notification is submitted with e-bid.		
9-	If applied as Micro or Small Enterprises, whether certificate for Production Capicity under rule 11 of Notification dated 19.11.15 in Form 'B' is submitted with e-Bid.		
10-	Whether original manufacturer's certificate for the item submitted with e-Bid.		
11-	Whether certificate regarding authorized dealer/authorized distributor/Sale Sailing Agent issued by the manufacturer is submitted with e-Bid.		
12-	If bidder has an authorised representative based in Jaipur, name address and contact number should be submitted with e-Bid.		
13-	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted Bid for the first time		

(XIV) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(XV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

नोट :-

1. कम संख्या (XIII) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes' or 'No' उसके जारी होने की तिथि / (Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी।

2. बोली भरने की प्रक्रिया :-

(ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "इ" तथा अनुलग्नक अ,ब,स में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' डाऊनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ स्कैन करना होगा।

(बी) परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई- बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। योग्य बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मैय मोहर

परिशिष्ट "ब"
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

बोली आमंत्रण क्रमांक:

दिनांक :-

1. के लिए बोली
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-.....
का नाम व डाक का पूर्ण पता :-.....
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :-.....
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भ :- बोली आमंत्रण संख्या:-.....
दिनांक
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-

दरें -एफ.ओ.आर.केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज., जयपुर, निम्नानुसार अंकित करे :-

(i) दरें -(प्रति नग/प्रति जोड़ी/प्रति मीटर) :-

क्र.सं.	वस्तु का नाम	प्रति नग/प्रति जोड़ी/प्रति मीटर राशि रुपये अंको में राशि रुपये मय समस्त कर	प्रति नग/प्रति जोड़ी/प्रति मीटर राशि रुपये शब्दों में राशि रुपये मय समस्त कर
1	किट बैग खाकी	ई-बीडिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।	
2	गर्म जर्सी खाकी		
3	जुराब गर्म खाकी		
4	नाईलोन जुराब खाकी		
5	पी.टी. बनियान		
6	गर्म बनियान गोल गले की बाजूदार		
7	बैरट कैप ऊनी (खाकी)		
8	डर्बी शूज ब्लैक		
9	पीटी शूज ब्राउन/सफेद		
10	कोट पारका खाकी		
11	बूट एंकल काले		
12	बेब (केनवास) इंकलेट		
13	बेब (केनवास) बैल्ट		
14	गर्म पेन्ट कपड़ा		
15	पोलो कार्बोनेट लाठी		
16	शोल्डर बैजेज		
17	कैप बैजेज		
18	गर्म कम्बल		
19	खाकी सूट सलवार		
20	खाकी दुपट्टा पोलिस्टर		
21	चमड़ा बेल्ट ब्राउन मय क्लेप्स		

उक्त बोली प्रपत्र-प्राईस बिड का है जिसे तकनीकी बिड के साथ नहीं दिया जावे, तकनीकी बिड के साथ दरें दिये जाने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
ई-बीडिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।

उक्त करों में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नोट:-

(i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवे।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:- 'टैक्स पेड, कर सहित, 'एज़ एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे।

(iii) आईटमों की दरों हेतु:-

(अ) यदि किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेंगी तो बोली अमान्य कर दी जावेगी।

6. **बोली भरने की प्रक्रिया:-**

ई- बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण एवं परिशिष्ट-अ उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ट-“स”

ई-बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वैबसाईड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रिया:-** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें :-
 - (अ) **निर्माता द्वारा बोली :-**
 - (i) बोली आमंत्रण में अंकित आइटम के लिए बोली, सम्बन्धित आइटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेंट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।
2. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई हेतु:-**
 - (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।
 - (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन-II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।
 - (iii) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित हैं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 - (iv) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत वर्गीकृत, राजस्थान में स्थापित एवं उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों को चाहने के क्रम में संबंधित उद्यम द्वारा वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 10 के अनुसार संलग्न प्रारूप "क" जिसमें उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, की स्वप्रमाणित फोटोप्रति तथा उक्त नोटिफिकेशन के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा प्रारूप "ख" में शपथ पत्र (Affidavit) बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3.
 - (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
 - (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :-**

- (i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) राजस्थान स्थित फर्मों द्वारा गत छः माह से अधिक जी.एस.टी. बकाया नहीं होने का शपथ पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।
5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट- 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' डाऊन लोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई- बोली के साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' स्कैन करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।
7. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।

8 **दर :-**

- (i) बोली में दर शब्दों एवं अंको दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-
- (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उक्तथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
- (iii) बोली में दरें परिशिष्ट "ई" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा समस्त प्रकार के टैक्स जीएसटी सहित एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट "ई" में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।
- (iv) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (v) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
- (vi) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (vii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (ix) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

- (x) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

9. दरों की तुलना:-

- (i) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के नियम 4 के तहत राजस्थान राज्य के स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों प्रदान की जावेगी।
- (ii) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और बोली मूल्य राजस्थान के उद्योगों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्योगों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

10. बातचीत (Negotiation) :-

- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-

- (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या
- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

- (ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

11. बोली की विधि मान्यता:-

दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

- 12 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

14. स्पेसिफिकेशन:-

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "ई" में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामले में जहाँ कोई स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाय की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती हैं, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाय अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात् बोलीदाताओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी,

लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

- (iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

15. निरीक्षण एवं परीक्षण :-

- (i) (A) "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/आईटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।
(B) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (ii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) परीक्षण प्रभार:- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।
- (iv) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी
- (v) रद्द करना (Rejection):- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
- (vi) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
- (vii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

16. सैम्पल :-

- (i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ आईटमों के एक-एक शील्ड सैम्पल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किए जावेंगे। वस्तुओं के सैम्पल्स, विभागीय क्रय समिति चाहेगी तो किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टेस्ट करवा सकेगी। इस संबंध में विभागीय क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल्स की जांच कराई जाती है तो टेस्टिंग पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल्स की टेस्टिंग के उपरान्त टेस्ट पर हुए व्यय की राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराई जावेगी। यदि कोई बोलीदाता टेस्टिंग चार्ज की राशि जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से टेस्टिंग चार्ज की राशि काट ली जावेगी।
- (ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से सैम्पल पर लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर सैम्पल का विवरण लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा बोलीदाता का नाम व आईटम की क्रम संख्या भी अंकित करनी होगी।
- (iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

- (iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जावेगी। संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो विभाग द्वारा इनका समपहरण (Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (v) असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी। विभाग के पास रहे इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट-फूट, या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार या विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नहीं लिये जावेगे उनका समपहरण (Forfeiture) किया जावेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

17. **माल की सप्लाई :-**

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR जयपुर मुख्यालय भेजा जाएगा। तत्पश्चात् जेलों पर स्थापित किया जावेगा।
18. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

19. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

20. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावों या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (iii) पुनरादेश अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद पुनरादेश के लिए ऐसे प्रदायगी आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

21. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :-** सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।
22. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :-**
- (i) बोली के साथ अनुमानित क्रय मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रुपये की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 एवं वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन-11/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।
- (ii) बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:-
- (अ) नकद रसीद द्वारा या
- (ब) नकद- शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप- 103- प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ई-ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या
- (स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।
- (iii) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security):-** असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी।
- (iv) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
- (v) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।
- (vi) **बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):-** बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगा :-
- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
23. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-**
- (अ) विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति एवं वार्षिक रख-रखाव हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 03 दिन में माल के प्रदाय एवं वार्षिक रख-रखाव के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं उक्त रकम के 0.25 प्रतिशत मय चार्ज/सेस के बराबर कम से कम राशि रुपये 500/- एवं अधिकतम राशि रुपये 15000/- तक के राजस्थान नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस. आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में 03 दिवस में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त की जा सकती है।

- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:-
- (क) "ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (ङ.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।
- (च) उपर्युक्त खण्ड ख से ङ. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
- (iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारंटी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstandingdues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
- (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारंटी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।
- (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारंटी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।

नोट:- अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि ledger की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):- सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाएगा:-
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो
- (ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। वारंटी एवं ए.एम.सी. अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी अथवा इस जुर्माना राशि की कटौती की जा सकेगी। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी। ●

- (vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-
 (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
 (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
 (vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में निविदा एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

24. **बीमा:-**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

25. **भुगतान:-**

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।
- (iii) विवादस्पद आइटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।
- (vi) **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-**
 परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-
 (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%
 (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5%
 किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए
 (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5%
 विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
 (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए -10%
 (ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
 (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
 (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 (ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जाएगी।

26. **वसूलियाँ:-** परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति

(Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

27. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
28. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।
33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
34. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
35. सामान की आपूर्ति केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर पर देनी होगी।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान-जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

9

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We are the manufacturer of We hereby certify that M/S Name)..... of (Address) is our authorized dealer in the State of Rajasthan for Govt. Supply. He is authorized to participate in the Bid Notice No.....dt..... We hereby undertake that the material shall be supplied by us through him as desired.

(.....)
Name
Signature Attested

Signature of Manufacturer
Name
Designation.....
Seal of Manufacturer

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आइटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सदभावी सप्लायर हूँ/हैं।
2. मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ', 'ब', स तथा अनुलग्नक "अ", "ब", "स" एवं ई तथा ई-बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते हैं तथा समस्त निविदा की शर्तों की पालना हेतु बाध्य है व अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) में घोषित नहीं हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

नाम

नाम फर्म

.....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

DG & IG Jail, Rajasthan Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is

Additional Chief Secretary/Principal Secretary Home Department, Secriatrate Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

2

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant :
- (ii) Official address, if any :
- (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer/ authority
who passed the order (enclose copy), or a statement
of a decision, action or omission of the Procuring Entity
in contravention to the provisions of the Act by which
the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal

.....
.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....
.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

2

प्रारूप ख
शपथ पत्र का रूप विधान
(खण्ड 11 देखिए)

मैं..... पुत्र आयु.....वर्ष..... का
निवासी, मैसर्स का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उधम मैसर्स को जिला उधोग केन्द्र
..... द्वारा उधम संबंधी ज्ञापन भाग-11 की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं.....
..... दिनांक निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है:-

वस्तु का नाम

उत्पादन क्षमता (वार्षिक)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उधम संबंधी ज्ञापन भाग-11 की अभिस्वीकृति उधोग
विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उधम उपरोक्त वस्तुओं का
नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।

(ग) मेरे/हमारे उधम के पास समस्त अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित
वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान:-

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत
हस्ताक्षरी
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - ई
किट बैग खाकी कय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

1. **किट बैग खाकी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिन
 (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1774 नग किट बैग खाकी
 (घ) **स्पेशिफिकेशन :-**

The Specification of Kit Bag Khaki Shall be as follows:

1. The material of main body of the bag shall be as per IS No. 1422-83, Variety no.3 with special proofed cotton duck confirming to IS n. 6803-72.
2. The sizes of the Bag shall be as under :

a)	Main Body	Length :-	21 Inch
		Width :-	12 Inch
		Height :-	12 Inch
b)	One Front Pocket :	Length :-	17 Inch
		Width :-	8 Inch
c)	Two Side Pocket :	Length :-	12 Inch
		Width :-	9.5 Inch

d) Bottom of the bag : Inside of the bottom there should be a piece of Fiber Sheet stitched with calico cloth & fitted with 5 Nos of Rubber Gutkha in the bottom side (As per department sample)
- The Shade, pattern & workmanship shall be strictly as per departmental sample.
3. Width of Synthetic Strap shall be 1.5 inch, preferably of nylon fabric in double strap.
4. The Bag shall have good quality **P.V.C. Chain** (No.- 10) at top of the flap and good quality of P.V.C. Chain (No.- 8) on the pockets as per department sample.
5. +/- 5% variation shall be allowed in all dimensions.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाय की जाने वाले किट बैग के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, चमडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:— सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई

जर्सी गर्म खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

1. **जर्सी गर्म खाकी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिन
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1869 नग

क्र.सं.	नग	साईज
1	180	85 से.मी.
2	525	90 से.मी.
3	630	95 से.मी.
4	434	100 से.मी.
5	100	105 से.मी.
कुल	1869	

- (घ) **स्पेशिफिकेशन :-**

As per specification No. IND/AIR/TC/1539 with the following amendments

- (A) Composition of Yarn would be as under :-
i) Wool - 85% ± 5%
ii) Crympted Nylon Top Dyed - 15% ± 5%
- (B) Grade of Wool shall not less than 64^S as per IS:5911-1977.
- (C) Neck opening shall be Y-shaped and two buttons shall be provided as per the position indicated in Figure 1 of IS-2360-1977. The buttons and button holes shall be reinforced on the inside of the Jersey with polyester/ viscose fabric conforming to IS-11248/1985 and shall be securely attached by machine stitching. The button shall be would with double thread to form a neck of approximately 2 mm. The neck belt shall be made of double layer of plain knitted fabric used for the body of the Jersey.
- (D) Weaving pattern as per departmental sample.
- (E) Jersey knitted with single strand yarn.

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई की जाने वाली जर्सी गर्म खाकी साईज 95 से.मी. के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, वूल आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - ई

जुराब गर्म खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

1. **जुराब गर्म** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस।

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग:- 4538 खाकी जोड़ी

(घ) **स्पेशिफिकेशन** :- As per specification below, Colour & Pattern will be as per Departmental Sample.

Socks should be plain with reinforced heel & toe, elastic double fold.

1. Identification of fibre - Wool, Polyester.

2. Composition - Wool -85%

Polyester - 15%

Tolerance - $\pm 3\%$

3. Wool Grade - 64s As Per IS 5911-77

4. No. of courses/ dm - 60 ± 5

5. Count (Approx) - Wool 44 Tex(2F)

Polyester 155 D ± 5

6. Colour fastness to Light - 4 or better

7. Washing - 4 or better

8. Perspiration - 4 or better

9. Rubbing - 4 or better

10. pH Value - 5 to 7.5

11. Dimensions in cms -(As Per Enclosed Drawing) attch Drawing

Top to Heel	Heel to Toe	Width of Socks	Length of Elastic	Weight per pair
A	B	C	D	
26	23	9.5	6	55gm
28	24	9.5	6	65gm
30	25	9.5	6	75gm
+2.5 -1.0	± 0.5	± 0.5	± 1.0	$\pm 3gm$
Total				

नमूना एवं परीक्षण :-

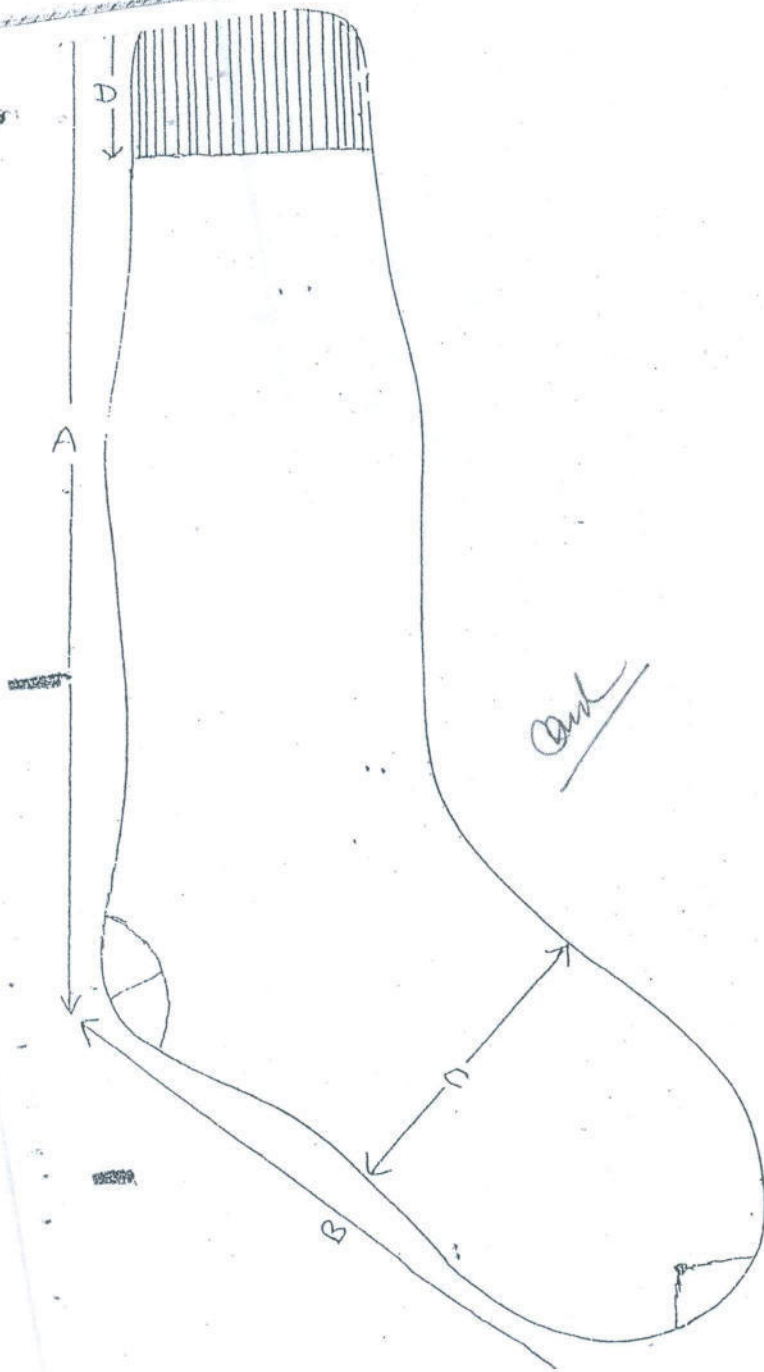
- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाय की जाने वाले जुराब गर्म खाकी Heel to Toe एक जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, वूल आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच

- केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन / सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
 5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
 6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
 7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान-जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)



महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - "ई"

नाईलोन जुराब खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

नाईलोन जुराब खाकी के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 3738 जोड़ी नाईलोन जुराब
(घ) स्पेशिफिकेशन :-

A. As per specification below, Colour & Pattern will be as per Departmental Sample		
Socks should be plain with reinforced heel and toe.		
1.	Colour fastness to washing Change in Colour	4 or Better
2.	Colour Fastness to Rubbing Stining on cotton (Dry/Wet) One Direction Other Direction	4 or Better 4 or Better
3.	Fibre Identification Knitted	Cotton, Polyamide
4.	Blend Composition % Cotton Polyamide	67+5% 33+5%
5.	Count of the Yarn Knitted Type- 1 Type-2	20±5% 214D±5%
6.	Unit Weight of One Pair	48±5%
7.	Colour Fastness to light Namerical Rating	4
8.	Colour Fastness to perspiration Change in Colour	4 or Better
9.	Size of Socks Top to Heal Heel to Toe	2.7 Cm ± 5% 19.8 Cm ± 5%

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय कारागार राज. जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाय की जाने वाले जुराब नॉयलोन खाकी Large साईज के एक जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।

3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपड़ा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशीफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशीफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर (बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई

पी.टी. बनियान क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. **पी.टी.बनियान** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर ।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिन
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 4888 नग

Specification for Knitted P.T. Baniyan

1. **Physical and Chemical Particulars for the knitted fabric**

- a) Count of the yarn - 20s
b) Blend Percentage of basic fabric – Polyester – 50%
Cotton – 50%
Fibre content in collar and sleeve cuff – 100% Polyolifin
c) Weight/Square Meter - 240 gms
d) Dimensional Changes %
Wales Direction - 2% Max
Course Direction - 2% Max
e) pH Value - 6 to 7.5
f) Colour fastness to light, washing at 40 C and Perspiration – 4 or better
g) pocket size width 13 cm & length 14 cm with Police monogram as per departmental sample

Note – The tolerance limit in Parameter No. a to c are $\pm 5\%$

2. **Measurement specifications in CMS**

Size in CMS	Qty.	A Width across Chest	B Length of Vest Min	C Length or sleeves	D Length of Cuff	E Length of arm hole	F Width of neck opening	G Depth of neck opening	H Length of Y neck	I Width of Collar	J Width of cuff
85		50-00	71	23	12	22	11	12	14	6	3.5
90		50-00	71	23	12	22	11	12	14	6	3.5
95		52-50	74	24	13	23	11	12	15	6	3.5
100		55-00	76	25	14	24	12	13	16	6	3.5
105		57-50	79	26	15	25	13	14	17	6	3.5
Tol.		± 1.5	-	± 1	± 1	± 2	± 1	± 1	-	-	-

3. **Stitching should be Interlock**

4. **Label should contains the following**

1. Size
2. R.Pr. in capital letters
3. Name of the Manufacture
4. Manufacturing year

5. **Packing Mode**

1. Single piece packing in polyethylene bag
2. 5 pieces in one polyethylene bag
3. 50 pieces in one bale/case

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाली बनियान साईज 95 से.मी. के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशीफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशीफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान-जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट – ई
गर्म बनियान क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

1. **गर्म बनियान** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिन
 (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1774 नग

The 1774 Nos. Woollen Vest interlock Knitted in V neck short sleeves colour and raised as per departmental sample are to be supplied in the following sizes :-

Specification for Knitted Men's Woollen Vest :

- A) Count of Yarn 34s
 B) Blend Percentage of Basic fabrics :
 Polyester 55%
 Cotton 45%
 C) Weight/ Squire Meter 344 GSM.
 D) Threads/Inch
 Course wise 25
 Wales wise 30
 E) Dimensional Change- $\pm$ 3%
 F) P.H. Value 6 to 7.5
 G) Colour Fastness to Light 4 or better

Note :- The tolerance limit in Parameter No. A to D are $\pm$ 5%

MEASUREMENT SPECIFICATIONS IN CMS.									
Size in Cm.	Qty.	Width Across Chest	Length of Vest	Length of Sleeves	Length of Arms Hole	Width of Opening of Sleeve	Neck Opening (V Shape)		
							Depth at back	Depth of Front	Width
85		42.5	67	12	23	17	3.5	17	7
90		45.0	71	13	24	17.5	3.5	17	7
95		47.5	74	14	24	18	4	18	8
100		50.0	76	15	25	18.5	4	18	8
105		52.5	79	15.5	25	19	4.5	19	8.5
Tolerance		$\pm$ 1.5	Min	$\pm$ 1	$\pm$ 1	$\pm$.5	$\pm$.5	$\pm$.5	$\pm$.5

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना पैरा-1 (घ) में उल्लेखित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पैटर्न विभागीय नमूने के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले गर्म बनियान साईज 95 से.मी. के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावें।

3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपड़ा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच आपूर्ति होने पर की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:—सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाना है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान-जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट – ई

ऊनी बैरट कैप खाकी कय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. **ऊनी बैरट कैप खाकी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट जयपुर ।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
- (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 4408 नग
- (घ) **स्पेशिफिकेशन** :-

The Beret Cap are to be supplied in the following shades and Sizes :- Quantity in Nos.

DIMENSIONS OF THE " BERET CAP"

size	Head Band		Diameter of circular crown in cm B	Depth of Bevel to seam on polypropylene tape all around in cm C	Khakhi
	Diameter in cm A	circumference in cm			
Small	17.75	56.5	26.0	5	
Medium	19.00	60.5	27.5	5	
Large	20.25	64.5	28.5	5	
Tolerance	+0.5	+1.0	+0.5	+0.3	

NOTE : for Dimension Test, Lay Beret flat on a horizontal surface. Remove all creases and wrinkle without distorting it. Measure correct to the nearest millimeter as per the dimensions given in the above table.

Beret Cap should be one piece item per the IS specification No.5085-1976 (First Revision) with the following amendments

1. Mass/square meter in gms -- 725±5%
2. Wool grade 64^s as per IS 5911-77
3. **Lining** of Beret Cap are required in following sequence
 - Layer of Hessian between layers of soft cotton
 - Layer of Foam Sheet
 - Satin fabric as per specification

Note: 1. Soft cotton should be free from leaf, dust, dirt, seeds, iron and wooden particles etc.

2. Unused Hessian should be used in lining

4. Method of packing in following manner
 - Single piece packing in Polyethylene bag
 - 10 pieces in one Polyethylene bag (one Bundle)
 - 20 pieces (20 Bundle) in one bale/case

नमूना एवं परीक्षण :-

1. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. निविदा के साथ सप्लाय की जाने वाली बैरट कैप खाकी मिडियम साईज के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा निविदादाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः निविदादाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।

4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर निविदादाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे ।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा ।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:— सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार निविदादाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

डर्बी शूज ब्लैक-आर्मी टाईप (OXFORD) कय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. **डर्बी शूज ब्लैक-आर्मी टाईप (OXFORD)** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-
 - (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 - (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
 - (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1774 जोड़ी

The Leather Derby Shoes Black - Army type (Oxford) Direct injected process polyurethane sole of good quality and strength will be supplied in the following sizes :-

S.NO.	Quantity	Pairs of Size
1	70	5
2	125	6
3	300	7
4	504	8
5	400	9
6	250	10
7	125	11
Total	1774	

SPECIFICATION :-

1. As per enclosed specification Page 1 to 7.
2. An under taking that three pairs advance samples of Leather Darby shoes black-Army Type (Oxford) Direct injected process polyurethane sole of main supply as per the specifications.
3. Production capacity certificate attested by the Director of the firm and issued by the Ministry of Industries/ concerned Distt. Industries Department for DIP.PU SOLE
4. Year of manufacturer and Brand name should be stamped on shoes along with Rajasthan Police.

SPECIFICATION FOR DERBY SHOE-ARMY TYPE (OXFORD) LEATHER DIRECT INJECTED P.U. SOLE

1. SCOPE

This specification covers the requirements of leather Derby Shoe-Army type (Oxford) Direct injected process Polyurethane sole in size 5 to 13 (English System) or in size 39 to 47 (French system). These are meant for use by Police Personnel.

The shoes described in this specification are made from Chrome tanned corrected grain leather upper, lined with combination tanned lining leather to absorb perspiration. The shoes are manufactured with cleated P.U. soles with anti slip design by Direct Injection Process.

2. RELATED SPECIFICATION

Reference is made in this specification to (these are only for broad guidelines):-

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| i) IS : 3840-1979 | - | Lining leather. |
| ii) IS : 5041-1978 | - | Footwear and stationary eyelet |
| iii) IS : 5677-1986 | - | Shoes upper leather for direct moulding process |
| iv) IS : 8086(Pt.I)1986 | - | Footwear method of test Pt. I dimensions, fitting, adhesion, test etc. |
| v) IND/TC/0304 | - | Laces nylon black for shoes & shoes |

3. STANDARD PATTERN

The standard pattern of shoes shall be Derby Shoe leather type with leather upper, direct injected sole.

4. MATERIALS

The Shoes shall be manufactured from the following materials :-

i	Leather chrome tanned for upper black (Buff/Cow)	The requirements are corrected grain for direct injection process given in Appendix-A1
ii	Leather lining combination tanned	IS: 3840-1979(type-I) (for reference only)
iii	Thread nylon	Nylon thread 3 ply having min. breaking strength of 3.5 kg.
iv	Eyelets aluminium/brass, enamelled black for shoes	IS : 5041-1978 IND/SS/1365
v	Laces nylon Min. 70cm(min.) long for shoes	IND/TC/0304
vi	Polyurethane sole	The requirements are given in appendix 'A2' to this specn.

5. MANUFACTURE

The shoes shall be manufactured as described below:-

The shoes shall be made by direct injection process (DIP construction) using standard last having G/H- fitting.

Design

The shoes shall be durby shoes-Army type (Oxford) with stroble construction with direct injected P.U. sole. A full tongue shall be completely lined.

Shape of components

The patterns of the quarters, outside counter, vamp lining, toe cap and toe puff shall be so designed that these do not form excessive pleats at 'Toe' and 'Counter' regions during lasting.

Cutting of Components

The Various upper and bottom components of leather shall be cut from the material and to the thickness as prescribed in Appendix 'C'. All components shall be free from serious grain damage, flay cuts and other defects. Care shall be taken that all parts, forming the upper are cut so that the lines of tightness of the leather is in the direction from heel toe.

5.1.4 UPPER CLOSINGS

- 5.1.4.1 The upper shall be attached/closed on lock stitch machine using nylon thread for counters, back and tongue joint with vamp and for remaining position equivalent spun polyester thread can also be used for stitching in place of nylon thread. The number of stitches shall be 20 to 32 per decimeter. Care shall be taken to maintain the space and uniform tension of the stitching at all places.
- 5.1.4.2 The joined top of the quarters shall be carefully strengthened by means of leather strip from outside.
- 5.1.4.3 Two rows of stitching shall be used at the toecap and counter, and two rows at the sides.
- 5.1.4.4 The toe puff shall be stitched with second row of toecap stitching. All loose ends of the upper stitching shall be secured properly.
- 5.1.4.5 The full tongue shall be so fitted that no wrinkles/step occur where it is joined to the vamp.
- 5.1.4.6 Five eyelets shall be fitted in each quarter facing. The eyelet shall be clinched with washer, without distortion. The top eyelet shall be positioned at the distance of min. of 10mm from the top line of the quarter and rest shall be equally spaced.

5.1.5 Lasting

- 5.1.5.1. Pre moulding of toe and counter (thermoplastics) shall be done before lasting. Moulded upper shall be stitched by stroble cloth all around ensuring that there is no wrinkle in the stitching area. Care should be taken to match stroble stitching with upper knuckles so that upper is straight.

- 5.1.5.2. The upper shall be properly laced up to the fourth eyelet before lasting so that the quarters remain in proper alignment on the instep.
- 5.1.5.3. In the lasting operation, the upper and the insole shall not be wetted or damped too much to show any water spotting or to make the grain pattern of upper leather disappear.
- 5.1.5.4. The Shoe shall remain on the last long enough to ensure proper shape of the upper and adequate setting of the shoe.

6. REQUIREMENT

- 6.1 The material used in the manufacture of shoes shall be tested to the specification/requirements given in this specification.
- 6.2 Mass - The mass of one pair of finished shoes of size 8 shall not exceed 800g with an increase or decrease of 75g for each bigger or smaller size respectively.
- 6.3 Dimensions of Shoe will be as under : The back height and depth of toecap for size 8 will be 72 ± 2 mm and 55 ± 5 mm. These dimensions will increase and decrease by 2 mm and 5 mm per size respectively.
- 6.4 The thickness of sole in the finished condition shall be as under
- | S.No. | Description | Thickness (mm) |
|-------|------------------------------|----------------|
| 1. | At forepart | 7(min.) |
| 2. | At waist | 6(min.) |
| 3. | At heel | 20(mm.) |
| 4. | Depth of leat at sole & heel | 1 (min.) |
- 6.5 The direct injected shoe shall be subjected to adhesion test. The testing shall be made at least 24 hours, after allowing the Shoe to cool down at room temperature. For accurate results it is recommended to test the sample after 24 hours.
- 6.6 Upper/outsole bond strength- The bond strength shall not be less than 4 N/mm unless there is tearing of the material.
- 6.7 The bond strength between the outer of cleat layer and the adjacent layer shall be not less than 4N/mm unless there is a tearing of the sole, in which case the bond strength shall be not less than 3 N/mm
7. The socks of the Shoe shall be legibly stamped with the manufacturers name or his recognized trademark, size and month & year of manufacture.
8. HYDROLYSIS TEST - The shoes shall be placed in high humidity (100%) at a temperature of 72°C for 5 days and then tested for whole shoe flexing for 100,000 cycles. No crack or damage to the footwear is acceptable.
9. ELECTRICAL INSULATION - When measured in accordance with the method described in EN 344 after conditioning in a dry and wet atmosphere, the electrical resistance shall be not less than 100k and not greater than 1000 m.
10. HEAT INSULATION OF SOLE COMPLEX- When footwear is tested in accordance with the method described in EN 344 the temperature increase in the upper surface of the insole shall be not greater than 22 C.
11. COLD INSULATION OF SOLE COMPLEX- When footwear is tested in accordance with the method described in EN 344 the temperature decrease on the upper surface of the insole shall be not greater than 10 C.
12. The sampling plan and criteria of conformity of lot shall be as per appendix D attached to this specification.
13. The shoes shall be delivered in new, dry clean condition.

13.1 UNIT PACK

- 13.2 Each pair of shoes shall be placed heel and toe alternatively i.e. upright position wrapped with tissue paper. A lable with following markings shall be placed outside the box, which shall be clearly readable.
- Nomenclature
 - Manufacturer's name or trade mark
 - Month and year of manufacture
 - Size/fitting
- 13.3 Before dispatch, each package shall be legibly marked by stencil using indelible ink/paint showing the following details :

- i. Quantity packed in the package.
- ii. Lot and serial No. of the package.
- iii. Month and year of manufacture.
- iv. Gross mass of the package in kg.
- v. Name and address of the consignee.
- vi. Name and recognized trade mark of the supplier.

APPENDIX A1

UPPER LEATHER

The requirements of upper leather are given below :

Property	Test Method	Minimum Requirement
Tear Strength	ISO 377-1975	
pH value	EN 344/ISO 405-1977	
Water vapour permeability & coefficient	EN 344	Water vapour permeability shall not be less than 0.8 mg per cm square per hour and the water vapour coefficient shall not be less than 20 mg per Cm ²
Water penetration & absorption	EN 344	The absorption shall not be higher than 30% after 60 minutes from the start and water penetration shall not occur during this period, nor exceed 2 kg. after a further 30 minutes.

APPENDIX A2

POLYURETHANE SOLE

System	Polyester based
Chemicals processing temperature (°C)	40 to 45
Mould temperature (°C)	40 to 50
Mould occupation time (minutes)	2 to 2.5
Moulded density (Kg/m ³)	400 to 600
Tensile strength (DIN 53504, Mpa)	>6
Elongation at break (DIN 53504%)	>400
Trouser tear strength (DIN 53507, kN/m)	>4.0
Rose flex test (cut growth in mm/1000 cycles at -5°C at -18°)	- nil
Flexing life test (DIN 53507)	30,000 flexes, maximum widening of puncture, 6mm
Abrasion test, (DIN 53516)	Maximum loss 250 mm ³
Values of properties after hydrolysis (higher temperature/humidity test - DIN 53508, 168 hours at 70° C and 100%R.H.)	The values for tensile strength & elongation at break must not drop below the 75% of values specified above

THICKNESS OF COMPONENTS

SNo	Components	Material	Thickness (mm)	
			Min	Max
1	2	3	4	5
1.	Quarter }		1.3	1.5
2.	Vamp }		1.3	1.5
3.	Toe Cap }	Chrome tanned upper	1.3	1.5
4.	Out side counter }	Leather	1.3	1.5
5.	Full Tongue }		1.3	1.5
6.	Back strengthening } piece }		1.3	1.5
7.	Full insock	Split Buff	0.7	1.0
8.	lining	Lining leather	0.7	0.9
9.	Insole }	Stroble thick	1.5	2.0
10.	Counter Stiffener }	Thermoplastic material	1.2	1.3
11.	Toe puff }	-do-	0.60	0.80

APPENDIX 'D'

(Refer to clause 8.1)

SAMPLING PLAN

Lot size (Pairs)	Visual Parameters	Physical lab parameter			Chemical lab parameter			Time consuming parameter
		Tightened (level IV)	Normal (Leavel III)	Reduced (level II)	Tightened (Level III)	Normal (Leavel II)	Reduced (level I)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301 to 500	35	20	5	2	5	3	2	2
501 to 1000	40	25	10	5	10	5	4	4
1001 to 3000	50	30	15	7	15	7	5	5
3001 to 5000	50	35	20	10	20	10	7	7

Based on table 1 clause 6 of IS : 2500 (Pt II) 1965

NOTE :

1. Lot - The footwear pairs of the same description/design/nomenclature and of the same batch belonging to one size or a set of sizes offered against packing slip shall constitute a lot.
2. Lot size- The lot size shall be as agreed by vendor and vendee.
3. Drawing of samples
 - a. In all cases samples shall be drawn using technique of random sampling. The sampling officer shall draw samples for visual examination as per column No. 2 from the lot offered. The samples so drawn shall represent proportionately all the sizes of the lot.
 - b. The sample so drawn shall be visually examined by the sampling officer and QAR prepared. If found satisfactory, the sampling officer shall draw (out of it) the samples for lab testing as per column 3 (normal/reduced/tightened as the case may be depending on the performance of the firm)

Testing of sample :

- All the samples so received in the lab shall be subjected to size/fitting tests, bond strength test, dimensional checkup and general getup, workmanship and finish.
- Out of these samples, the samples as per col. 4 (normal/reduced/tightened as the case may be depending on the performance of the firm) shall be drawn for chemical test parameter.
- The chemical testing of leather portion shall be done on composite sampling basis (comprising samples of one size only) for each size and results in duplicate reported.
- The samples size as per col. 5 shall be drawn and used for testing of the following parameters -
 - Thickness of components.
 - Dimensional details viz back height, heel height and depth of toe cap.
 - Hydrolysis effect.

Criteria of Conformity

The lot shall be considered to be in conformity with the required standard, if the sample drawn for testing as above are found satisfactory and the lot is also found otherwise satisfactory in regard to visual parameters.

NOTE : It is recommended that time lapse in transportation, storage and distribution should be as minimum as possible and shoe should be put in use immediately as there is a risk of hydrolysis affecting P.U. soles.

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाइ की जाने वाली डर्बी शूज ब्लेक साइज 8 नंबर के एक जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साइज अंकित किया जावे।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, चमडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
- उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशीफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
- विभागीय नमूना तथा IS स्पेशीफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
- सप्लाइ के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
- परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाइ किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें।

8. पैकिंग :- जूतों को पोलिथिन में पैक कर उसके पश्चात प्रत्येक जोड़े को डिब्बे में पैक कर डिब्बे पर साईज अंकित होने पर ही सप्लाय स्वीकार की जावेगी।
9. वारंटी :- सप्लाय किया गया सामान किसी भी उत्पादकिय त्रुटि (दोष) के लिए सामान प्राप्त होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि हेतु वारंटी पर होगा।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट "ई"

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

पी.टी. शूज ब्राउन/सफेद के क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

1. पी.टी. शूज ब्राउन/सफेद के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-
- (क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय भण्डार, कारागार मुख्यालय, घाटगेट, जयपुर।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि : 25 दिवस
- (ग) कुल मात्रा: 2539 ब्राउन जोड़ी

The Canva P.T. Shoes Brown will be supplied in the following sizes:-

P.T. Shoes Brown			P.T. Shoes white
S.NO.	Quantity	Pairs sizes	Quantity
1.	-	6	5
2.	100	7	10
3	850	8	35
4	950	9	40
5.	394	10	5
6.	150	11	-
TOTAL	2444	-	95

(घ) स्पेशिफिकेशन :-

SPECIFICATION FOR P.T. SHOES – BROWN/White WITH DIRECT MOULDED PU SOLE

1. Scope

The PT shoes are designed as uniform article. This standard prescribes the materials, construction, requirements, methods of sampling and tests to ensure required performance for P.T. shoes made out of textile upper and PU sole by Direct Moulded process for the use of Police, Paramilitary Forces & Defense Personnel. The supply shall be in sizes depending on the requirement of the purchaser.

2. Materials

Sl	Component	Material
i)	Toe	Leather toe cap – 1.5 mm thick
ii)	Vamp	Canvas of PC/PV laminated with EVA & nylon cambrelle Type lining material
iii)	Quarter (in+out)	- do -
iv)	Tongue	- do -
v)	Socks	Cotton fabric padded with EVA foam
vi)	Thread	Nylon/ polyester or blended – 3 ply *
vii)	Eyelet	Aluminum
viii)	Lace	Nylon/polyester or blended, round having tips bound with plastic – 100 cm
ix)	Sole	PU Dark brown matching with upper

3. Shape and Design

- Oxford shoe having five eyelets.
- Size & fittings will be as per IS 1638 & with 'G' fitting.
- Sketch of upper & sole is enclosed for guidance purpose.

4. Soling Pattern

- 4.1 The soling shall not include continuous lateral tread patterns or any other features, such as sharp corners at the base of the sole pattern, which may accelerate or cause premature crack formation.
- 4.2 The design should be such that the sole will have adequate skid resistance with cleat height of min. 2 mm. Sole design enclosed for guidance.
- 4.3 The sole will be formed by Direct Moulding Process on the lasted upper.

5. Back height

The height shall be measured on inside at the back of the shoes from the insole to back top.

Recommended Back Height - 55 to 75 mm depending on the size (64 mm for size 8)

6. Physical Tests

Parameters	Test methods	Norms
Hardness of sole	SATRA TM 205	55 ± 5 Shore A/IRHD
Relative Density of Soling Material	SATRA TM 134	0.5 to 0.55 gm per cc.
Upper/outsole bond strength	IS 15298	Shall not be less than 4 N unless there is tearing of the material in which case the tearing strength shall not be less than 3 N/mm.
Abrasion Resistance of Sole	IS 15298	The maximum volume loss shall not be more than 250 mm ³ .
Resistance to cut growth (flexing test) for sole.	IS: 15298	The cut growth shall not be more than 300 percent after the test piece is subjected to 30,000 flex cycles.
Hydrolysis Test	The P.T. Shoe shall be placed in High Humidity (above 95%) at a temperature of 72°C for 5 days and then tested for whole shoe flexing for 100,000 cycles (ISO 5423)	No crack or damage or opening of the bond is acceptable.

7. Chemical Tests

The upper of the shoe shall meet the requirements given in the table below:

Sl. No.	Parameters	Limits	Methods of test as per
1	pH of aqueous extract of leather	Not less than 3 or greater than 9 and if it is so then the difference of pH on dilution by a factor of 10 (differential number), shall not be more than unity.	IS 1390
2	Formaldehyde, mg/kg, Max	200	LC : 3 of IS 14816/ISO 17226
3	Pentachlorophenol (PCP), mg/kg, Max	5	IS 14575/ ISO 17070
4	Coupled amines released from azo-dyes (sum parameters), mg/kg, Max	30	LC : 4 of IS 14816/ISO 17234

8. Requirements of Upper Material

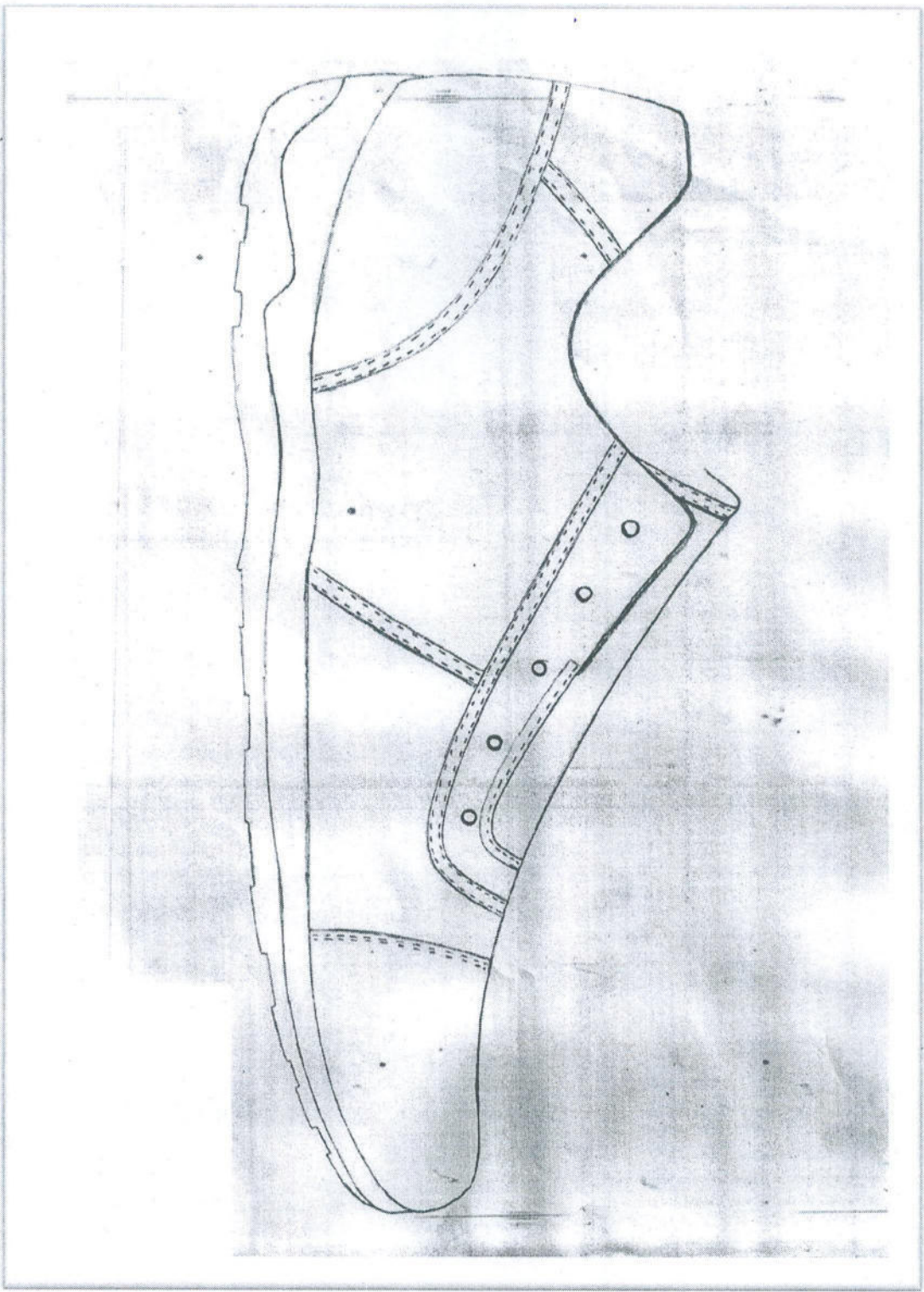
S.N	Parameter	Requirement/Norm	Test Method
1.	Blend Composition (for Guidance)	a. Polyester (%): 80 ± 3 b. Viscose or Cotton: Remainder	IS: 11195
2.	Weave	Canvas Type	Visual
3.	Mass (gm / m^2)	$290 \pm 10\%$	IS: 1964
4.	Breaking Load in N, Min. (5x20 cm strip) a. Warp b. Weft	1800 900	IS: 1969
5.	Elongation in % age	20 % (min)	IS: 1670
6.	Tear Strength in N, Min. a. Warp b. Weft	120 100	IS:7016 Part-3
7.	Mullen Burst in Kg / cm^2	8 (min)	IS:7016 Part-6/ IS:1966 Part-1
8.	pH Value	6.0 – 8.5	IS:1390 (Cold method)
9.	Colour Fastness a. Light b. Washing c. Perspiration	4 or better 4 or better 4 or better	IS: 2454 IS: 984 / IS:764 IS: 971

9. SAMPLING AND CRITERIA FOR CONFORMITY

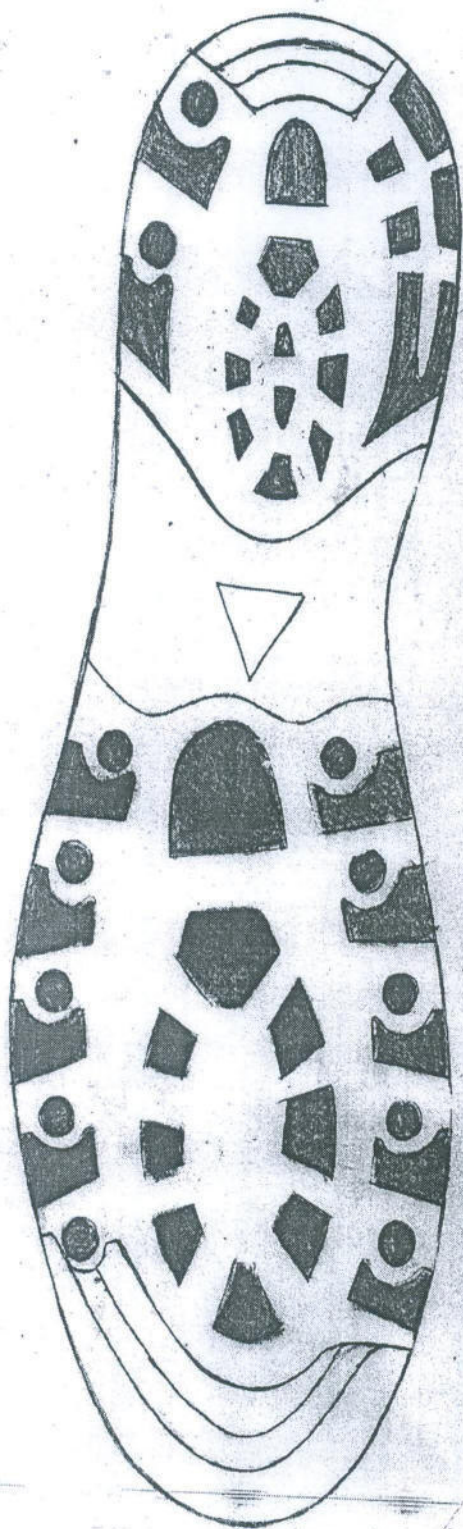
The method of sampling, drawing representative samples of the shoes and the criteria for conformity shall be as prescribed in IS 6368 : 1971.

Note: **SHELF LIFE :** PU Sole has shelf life of 12 months, therefore it is recommended that the shoes should be put in use before 12 months from the date of manufacture.

8



2



नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले पी.टी. शूज ब्राउन साईज 8 नंबर के एक जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा, पीतल, चमडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशीफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशीफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिदेशक कारागार राज., जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।
8. वारंटी:-सप्लाई किया गया सामान किसी भी उत्पादकिय त्रुटि (दोष) के लिए सामान प्राप्त होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु वारंटी पर होगा।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

कोट पारका (कोट कोम्बेट) खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

- कोट पारका (कोट कोम्बेट) खाकी के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-
 (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिन
 (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1398 नग कोट पारका खाकी

Size	Length	Chest	Sleeve	Qty.
5(S)(32)	30"	50"	23"	150
5(S)(34)	32"	55"	26"	348
5(M)(36)	34"	56"	27"	750
5(L)(38)	36"	57"	28"	150
Total				1398

(घ) स्पेशिफिकेशन :-

Coat Combat Khaki with detachable lining as per specification No. IND/TC/4652 with the following modifications :-

I As per IS 11248/1995 with Amendment Polyester 67% and Viscose 33%

Note :- LCH Value and XYZ Tolerance $\Delta E \leq 3 \pm 0.5$

II. Lining for body & hood :- Pile fabric Khakhi knitted with tumbled finish - conforming to Prov./S/5387/ slivor/GAR/TC-19.

III Plastic Slide Fasteners open end heavy duty khaki, 28, 54, 57, 60, 63 cm. Conforming to IS 14181 with latest amendment

A. LCH Value and XYZ

L	C	H
54.447	19.128	77.264
X	Y	Z
22.124	22.398	14.580

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुसार विभागीय सैम्पल के अनुरूप शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले कोट पारका 5(S)(34) का एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।

3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अ महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रैण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


 महानिरीक्षक कारागार
 राजस्थान-जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
 (बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट-“ ई ”

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

बूट एंकल ब्लैक के क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

1. बूट एंकल ब्लैक (आर्मी टाइप) के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-
 - (क) एफ.ओ.आर.: केन्द्रीय भण्डार, कारागार मुख्यालय, घाटगेट, जयपुर।
 - (ख) कुल आपूर्ति अवधि : 25 दिवस
 - (ग) कुल मात्रा: 670 जोड़ी

SPECIFICATION FOR BOOT ANKLE BLACK LEATHER DERBY TYPE DIRECT INJECTION MOULEDED P.U. MIDSOLE & RUBBER OUTSOLE FOR RAJASTHAN PRISONS WILL WE SUPPLIED IN THE FOLLOWING SIZES:-

Boot Ankle Black		
S.NO.	Quantity	Pairs sizes
1.		5
2.		6
3.		7
4.		8
5.		9
6.		10
7.		11
8.		
Total	670	

(घ) स्पेशिफिकेशन :-

SPECIFICATION FOR BOOT ANKLE BLACK LEATHER DERBY TYPE DIRECT INJECTION MOULEDED P.U. MIDSOLE & RUBBER OUTSOLE FOR RAJASTHAN PRISONS PERSONNEL-Latest Spcification as on as 2017s

1. SCOPE

- 1.1 This specification covers the requirments of leather Boots Ankle Derby type Direct Moulded P.U. MidSole & rubber outsole and in sizes 5 to 11 (English system) or in sizes 39 to 45 (European system). These are meant for use by Jail/police/military/Para-military/Security Personnel.
- 1.2 The boots described in this specification are made from Chrome tanned barton print leather upper, lined with combination tanned lining leather. The boots are manufactured with cleated Rubber Outside with anti slip design by Direct injection moulding Process.

MATERIALS

2.1 The boots shall be manufactured from the following materials:-

i)	Upper leather chrome tanned black barton printed for direct injection moulding process	The requirements are given in Appendix-A
ii)	Upper leather for toe cap glossy finish black C.G.	-1.9mm thick $\pm$ 0.1mm
iii)	Upper leather black (C.G.) for full Tongue (bellow type) and collar (with minimum 14mm PU foam)	- 0.9 mm $\pm$ 0.1 mm
iv)	Leather lining black for quarter + tongue + counter - [combination tanned]	IS:3840-1979(type-I)
v)	Polyester white synthetic lining for vamp	as per Appendix- B
vi)	Toe puff - non woven thermoplastic	1.4 mm $\pm$ 0.1 mm
vii)	Counter stiffener - non woven thermoplastic	1.7 mm $\pm$ 0.1 mm
viii)	Insole - woven cloth for strobel construction	2.5mm thick $\pm$ 0.1mm
ix)	Thread nylon	Nylon thread 3 ply having min. breaking strength of 3.5 kg. for Upper Stitching.
x)	Eyelets brass, enameled black for boots	IS : 5041-1978
xi)	Hooks - single hook	Brass
xii)	Laces nylon 100cm long for boots	IND/TC/0304
xiii)	The Midsole shall be Polyurethane and the outer Sole shall be Rubber	The requirements are given in appendix 'D' to this specification.

CONSTRUCTION

The boots shall be made with strobel stitched & force lasted by direct injection moulding process using broad toe last of 'H' fitting.

REQUIREMENT

The material used in the manufacture of boots shall be tested to the requirements given in this specification including chemical tests.

4.1 Mass

The mass of one pair of finished boots of size 8 shall not exceed 1200gm with an increase or decrease of 75 g for each bigger or smaller size respectively.

4.2 Dimensions of boot will be as under:

The leg height (back height) shall be 115 mm $\pm$ 5 mm for size 8 with increase or decrease 5 mm per size.

4.3 The thickness of outersole in the finished condition shall be as under.

Sl No.	Description	Thickness (mm)
1.	At forepart	3.0 mm (min.)
2.	At waist	3.0 mm (min.)
3.	At heel	4.5 mm (min.)
4.	Depth of cleat at sole & heel	3.0 mm (min.)

4.4 Bond strength :

The direct moulded boot shall be subjected to adhesion test. The testing shall be made atleast 24 hours, after manufacture.

Upper/outsole bond strength - The bond strength shall not be less than 4 N/mm unless there is tearing of the material in which case the tearing strength shall not be less than 3 N/mm, when tested as per IS: 15298 (part I): 2011

Interlayer bond strength :- The bond strength between the outsole & Mid sole shall be not be less than 4N/mm unless there is a tearing of the sole, in which case the bond strength shall be not less than 3.0 N/mm, when tested as per IS: 15298 (Part I):2011

4.5 Hydrolysis Test

The boots shall be placed in High Humidity (95%) at a temperature of 70°C for 7 days and then tested for whole shoe flexing as per SATRA procedure for 100,000 cycles. No crack or damage or opening of the bond is acceptable.

4.6 Electrical Resistance

When measured in accordance with the method described in IS: 15298 (Part I):2011 after conditioning in a dry and wet atmosphere, the electrical resistance shall be not less than 100 k Ω and not greater than 1000 M Ω .

4.7 REQUIREMENT for Chemical Test

Sl	Material	Test	Quality Norm	Test Method
1	Boot Upper (Leather)	Solvent Extractable Matter	IS 2961	IS 582
		Chrome content(Cr203)		
		pH of water solubles		
		Total ash above matter		
		Water Soluble Matter		
		Hexavalent Chromium	IS 14898	LC: 2 IS 14186/ ISO 17075
		Formaldehyde		LC: 3 of IS 14816/ ISO 17226
		Pentachlorophenol (PCP)		IS 14575/ ISO 17070
2	Upper, fabric lining	Azo dyes	IS 14898	LC : 4 of IS 14816/ ISO 17234/ ISO 14362
		Pentachlorophenol (PCP)	IS 14898	IS 14575/ ISO 17070
3	Metal parts eg eyelets, buckles, zip etc	Nickel free	SG Criteria	DIN EN 12471

2992-12

5. SAMPLING

The scale of sampling of footwear, the method of their selection and the criteria for conformity shall be as prescribed in IS 2051 : 1976.

The waist position of the finished boot shall be legible stamped with the manufacturers name or his recognized trademark, size, month/Year of manufacture.

7. Each pair of boots shall be placed heel and toe alternatively i.e. upright position wrapped with tissue paper shall be placed in cardboard box. A label with following markings shall be placed outside the box, which shall be clearly readable.

- i) Nomenclature
- ii) Manufacturer's name or trademark.
- iii) Month and year of manufacture
- iv) Size

Appendix 'A'

UPPER LEATHER

(Tests to be conducted on sample leather)

The requirements of upper leather are given below:

Property	Test Method	Minimum Requirement
Tear strength	IS 15298:2011	Min. force 120N
pH value	IS 15298:2011	Min. 3.5, if below 4, the difference figure shall be 0.7
Water vapour permeability & coefficient	IS 15298:2011	Water vapour permeability shall not be less than 0.8 mg per cm square per hour and the water vapour coefficient shall not be less than 15 mg per cm ² .
Water penetration & absorption	IS 15298:2011	The absorption shall not be higher than 30% after 60 minutes and the mass of water penetration should not exceed 0.2 gm.

Appendix 'B'

WHITE SYNTHETIC LINING FOR VAMP

Test Method	Property	Specification Requirement
IS 15298:2011	Trouser tear strength (N)	15 (min.)
IS 15298:2011	Abrasion resistance	No holes before 25600 cycles in dry and 12800 cycles in wet.
IS 15298:2011	Water vapour permeability (mg/cm ² /hr)	2.0 (min.)
IS 15298:2011	Water vapour coefficient (mg/cm ²)	20 (min.)

332-1487

9

Appendix 'C'

THICKNESS OF COMPONENTS

No.	Components	Material	Thickness (mm)	
			Min.	Max.
	2	3	4	
1.	Quarter	Upper leather chrome tanned	1.8	2.0
	Vamp	black Barton printed		
		do.....	1.8	2.0
3.	Out side counter with extended wing at jug loop.	do.....	1.8	2.0
4.	Full tongue & collar	Upper leather Black (C.G.)	0.8	1.0
5.	Toe-cap	Glossy finish CG leather black	1.8	2.0
6.	Full insock	P.U. Moulded with high arch support covered by split leather or drill cloth	4.0	8.0
	Lining (quarter + tongue + counter)	Combination tanned lining leather	0.8	1.0
	Insole	Woven Antistatic	2.4	2.6
	Counter Stiffener	Thermoplastic material	1.6	1.8
10.	Toe puff	- do -	1.3	1.5

Appendix D

POLYURETHANE MID SOLE

Property	Minimum Requirement
Moulded Density (Kg/m ³)	400 to 500
Hardness	40 to 50 Shore "A"
Trouser tear strength (IS 15298 Part I)	5kN/m Min.

RUBBER OUTSOLE

Property and test Method	Minimum Requirement
Tensile strength (IS : 15298 :2011 Part I)	Min. 8kN/m
Resistance to fuel oil [IS:15298 :2011 (Part I)]	12% Max
Volume loss [IS:15298 :2011 (Part I)]	Maximum volume loss 150 mm ³

COMPLETE SOLE (MIDSOLE+OUTSOLE)

Property and test Method	Minimum Requirement
Wear Life Test [IS:15298 :2011 (Part I)]	Max. 4mm cut growth till 30000 cycles.
Thickness [IS:15298 :2011 (Part I)]	Thickness of sole should not be less than 4.0mm (cleated outsole) and cleat height should not be less than 3.0mm.

2/3/2019

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शैड, डिजाइन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय कारागार राज. जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले बूट एंकल ब्लैक साइज 8 के दो जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साइज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपड़ा, पीतल, चमड़ा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा नं. 01 में अंकित स्पेशीफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा आई.एस. स्पेशीफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर निविदादाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त अदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेगें। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जाना है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया जाना सामान विहित स्तर पर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षा/निरीक्षण प्रभार निविदादाता से वसूल किये जावेगें।
8. वारंटी: सप्लाई किया गया सामान किसी भी उत्पादकीय त्रुटि (दोष) के लिए सामान प्राप्त होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि हेतु वारंटी पर होगा।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान-जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता, मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर परिशिष्ट - "ई"

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

वैब (केनवास) इंकलेट क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

1. वैब (केनवास) इंकलेट के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
- (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 670 जोड़ी
- (घ) स्पेशिफिकेशन:-

The Anklet web as per sample of the Department. Quality & thickness of brass metal used should be as per deptt. sample.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय कारागार राज. जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले वैब (केनवास) इंकलेट साईज के एक जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपड़ा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।

7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट – "ई"

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

वैब (केनवास) बैल्ट क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

वैब (केनवास) बैल्ट के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
 (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 670 नग

साईज	बैल्ट बेव खाकी
122 से.मी.	170 नग
127 से.मी.	500 नग

(घ) स्पेशिफिकेशन :-

The Belt web of synthetic fabric as per department sample. Quality & thickness of brass metal used should be as per deptt. sample. Buckle, Slide, hook shall be of chromium plated brass.

नमूना एवं परीक्षण:-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय कारागार राज. जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले वैब (केनवास) बैल्ट के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
- उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
- विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
- सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेगें। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।

7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर (बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट – ई

गर्म पेन्ट कपड़ा खाकी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. **सर्ज क्लोथ (गर्म पेन्ट कपड़ा) खाकी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-
 - (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 - (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिन
 - (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 2430 मीटर
 - (घ) **स्पेशिफिकेशन :-**
 - B. As per IS Specification No. 2319-1987 (Third Revision) with Amdt.No.1 reaffirmed-2003 (Variety No.1 with blend of 70% wool & 30% Polyester) with moth proofing Shade Khaki
 - C. प्रत्येक थान की लम्बाई 36 मीटर से कम स्वीकार्य नहीं होगी।
 - D. कपड़े की चौड़ाई 140 से.मी. होगी ।
 - E. निर्माता द्वारा आपूर्ति किये गये प्रत्येक थान के शुरू में, अंत में तथा प्रत्येक पांच मीटर पर निर्माता फर्म का नाम व वर्ष सेल्वेज में आवश्यक है तथा इसी प्रकार राजस्थान कारागार शब्द सेल्वेजेज में बुनाई अथवा प्रिन्ट द्वारा अंकित किया जाना चाहिए ।
 - F. कपड़े का शेड विभाग द्वारा निर्धारित किया जावेगा ।
 - F. माल सप्लाई के समय प्रत्येक गांठ व थान पर कपड़े की मात्रा के साथ साईज अंकित करना अनिवार्य है। थान T.P. (टू-पीस) में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नमूना एवं परीक्षण :-

1. विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले सर्ज क्लोथ खाकी के एक-एक मीटर के दो सीलड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावें।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपड़ा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है ।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार का संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतया सक्षम होंगे।

6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाना है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

पोली कार्बोनेट लाठी क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

1. **पोली कार्बोनेट लाठी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-
 - (क) एफ.ओ.आर.:- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 - (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
 - (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1552 नग
 - (घ) **स्पेशिफिकेशन** :- Polycarbonate Lathi का स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार होगा।

POLYCARBONATE LATHI- Polycarbonate Lathi as per following specification

- | | | | |
|----|----------------|---|------------------------|
| 1- | Length | - | 1000mm long $\pm$ 10mm |
| 2- | Diameter | - | 25 mm $\pm$ 2mm |
| 3- | wall thickness | - | 4mm $\pm$ 0.5 mm |
| 4- | Weight | - | 400 Gms $\pm$ 25 Gms. |
- with suitable handle grip, as per Departmental Sample.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पेटन विभागीय नमूना के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. उपरोक्त आइटम की गारंटी/वारंटी 1 वर्ष की होगी।
3. निविदा के साथ एक नग शील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावे।
4. आपूर्ति से पूर्व निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटन के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा निविदादाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः निविदादाता के सैम्पल का विभाग अनुमोदन उसकी आइटम की आपूर्ति के समय गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
5. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जा सकता है। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकता है।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर यदि सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार निविदादाता से वसूल किये जावेंगे।

8. यदि सप्लाई के समय माल का निरीक्षण/परीक्षण उक्त अंकितानुसार नहीं कराया जाता है तो माल का निरीक्षण/परीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या महानिदेशक कारागार राज. जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।
9. उपकरण/वस्तु के सम्बन्ध में तकनीकी विवरण से सम्बन्धित पूर्ण दस्तावेज स्कैन करके ई-निविदा के साथ दिये जावे।
10. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात विभागीय कर्मचारियों को आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण निः शुल्क दिया जावेगा एवं उपकरण की मैनुअल हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध करवानी होगी।
11. अन्य समस्त दस्तावेज जो निविदादाता निविदा के साथ देना उचित समझे, स्कैन करके ई-निविदा के साथ प्रस्तुत करें।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान-जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - ई

शोल्डर बैज क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. **शोल्डर बैज** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिन
(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 3738 जोडा
(घ) **स्पेशिफिकेशन :-**

These are departmental Badges made from Brass with chromium plated. The Badges to be supplied be strictly according the departmental sealed sample in shape, size and design.

The Shoulder Badges should have high quality embossing R.Pr. embossing in English. These Badges are to be supplied as per the following size and weight as noted against each :-

S.No.	Description of Badge	Length	Width	Weight in Gms.
1.	R.Pr.	4 Cms	1.50 Cms	13 Gms

- Note :- (1) The weight of the Shoulder Badge shall include the Brass pin also.
(2) A variation of 5% in weight may be allowed in either side.

नमूना एवं परीक्षण :-

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1(घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन रंग एवं पैटर्न विभागीय नमूना के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
- बोली के साथ सप्लाय की जाने वाले शोल्डर बैजों के 1-1 जोड़े सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
- आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी । अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है ।
- उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

5. विभागीय नमूना तथा स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या महानिदेशक कारागार राज. द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर परिशिष्ट - ई

कैप बैज क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

1. **कैप बैज** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।

(ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस

(ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 3738 नग

(घ) **स्पेशिफिकेशन :-**

i) This is a departmental Cap badge of White Metal Chromium plated weighting 13 gms. each and a variation of 5% may be allowed on either side. The Cap Badge should be supplied strictly according to the departmental sealed sample in it's shape, size and design which can be seen in the office of the Central Stores, Prisons, Hqrs. Jaipur on working days during office hours.

ii) **कैप बैज R.Pr.:-** The Cap Badge R.Pr. will have an Ashok Emblem on the top of the badge with motto "Satyameve Jayate" (सत्यमेव जयते) written in Devnagri script just below the Ashok emblems and word R.Pr. in will be embossed in the monogram.

In case of any doubt about measurement etc. as laid down in para-1 above, it is made clear that the measurement will be strictly according to the sealed sample.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पेटन विभागीय नमूना के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाली कैप बैजों के 1 नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (पीतल आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।

5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल के निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या महानिदेशक कारागार, राज. द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - "ई"

गर्म कम्बल क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे।

गर्म कम्बल के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
- (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 2444 नग
- (घ) स्पेशिफिकेशन :-

Barrack Blanket Woollen dyed steel gray as per IS 1681-1998 (Reaffirmed 2003) (Variety No.3) Third Revision (Incorporating Amendment No.1) April 2005 and the Following.

a)	The weight of the blanket shall be 2.450 kg. $\pm$ 5.0%
b)	Size of the blanket 230cm x 152 cm $\pm$ 5cm
c)	The Transverse edges of blanket shall be wipped with 3ply worsted yarn of matching colour of the blanket.
d)	Preservation- As an alternative to moth proofing the blanket shall be packed with heavy dose of nepththalene with a minimum quantity of 5 kgs. per cubic meter of bale.
e)	Marking of Blanket - A white label of cotton fabric 8x12 cm. shall be security stiched to one corner of each blanket with the following information printed in indetible ink. i) Firm name & recognised trade mark. ii) Nomenclature of Store. iii) Month & Year of manufacturing. iv) Mode of preservation of nepathelene.
f)	Packing and marking of bales-As per clause 6.2 of specification IS 1681-1998 with amendement No.1
g)	Fibre composition - Wool - 80% $\pm$ 2%
h)	Grade of wool shall not less than 48 ^s as per IS : 5911-1977

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशीफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पेटर्न के अनुरूप होना चाहिए। * विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में केन्द्रीय भण्डार मुख्यालय कारागार राज. जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

2. बोली के साथ सप्लाई की जाने वाले गर्म कम्बल ग्रे के एक नग सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्धा कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पेटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपडा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुरसे समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।
6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेगें। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:— सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें।


 महानिरीक्षक कारागार
 राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर (बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट - ई

खाकी सूट सलवार (टेरीकोट शर्टिंग खाकी) क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेसीफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. खाकी सूट सलवार (टेरीकोट शर्टिंग खाकी) —के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेसिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :—
 - (क) एफ.ओ.आर. :— केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 - (ख) कुल आपूर्ति अवधि:—25 दिवस
 - (ग) मात्रा, नाप एवं रंग:—2157 मीटर
 - (घ) **स्पेसीफिकेशन :—**
 - A. As per IS Specification No. 11815-1986
 - B. प्रत्येक थान की लम्बाई 36 मीटर से कम स्वीकार्य नहीं होगी।
 - C. कपड़े की चौड़ाई 89 से.मी. होगी।
 - D. निर्माता द्वारा आपूर्ति किये गये प्रत्येक थान के शुरू में, अंत में तथा प्रत्येक 5 मीटर पर निर्माता फर्म का नाम व वर्ष सेल्वेज में आवश्यक है तथा इसी प्रकार राजस्थान कारागार शब्द सेल्वेजेज में बुनाई अथवा प्रिन्ट द्वारा अंकित किया जाना चाहिए।
 - E. कपड़े का शेड विभाग द्वारा निर्धारित किये गये सैम्पल के अनुरूप होगा।
 - F. माल सप्लाई के समय प्रत्येक गाठ व थान पर कपड़े की मात्रा के साथ साईज अंकित करना अनिवार्य है। थान T.P. (टू-पीस)में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नमूना एवं परीक्षण :—

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना पैरा-1 (घ) में उल्लेखित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप तथा शेड, डिजाइन, रंग एवं पैटर्न विभागीय नमूने के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले टेरीकोट शर्टिंग खाकी का एक मीटर का एक सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं सैम्पल का साईज अंकित किया जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपड़ा आदि) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच आपूर्ति होने पर की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेसिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार कारागार मुख्यालय राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।

6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रैण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:—सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर
परिशिष्ट – ई

दुपट्टा पोलिस्टर खाकी कय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में क्र.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. **दुपट्टा पोलिस्टर खाकी** के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-
 - (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
 - (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
 - (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1181 मीटर खाकी
 - (घ) **स्पेशिफिकेशन :-**
 - (i) Nature of the fibre-Polyester 100%
(IS-687-81)
 - (ii) Count of yarn
(CTL/TM 11-02-f)
 - (a) Warp 65.2D
 - (b) Weft 67-6D
 - (iii) Average No. of Thread Per D.M.
(IS-1963-81)
 - (a) Warp 327 $\pm 5\%$
 - (b) Weft 224 $\pm 5\%$
 - (iv) Colour fastness to Washing
(IS-687-88)
Change in Colour
Stain on Polyester
 - (v) Dimensional Change Percentage- 1%
(IS-2977-89)
 - (vi) Shade of cloth Will be as per departmental sample.
 - (vii) कपड़े का अर्ज 86-89cm होगा ।

नमूना एवं परीक्षण :-

1. विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. बोली के साथ सप्लाइ किये जाने वाले दुपट्टा पोलिस्टर खाकी के दो मीटर सील्ड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावें ।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (कपड़ा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शैड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे ।

5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे ।
6. सप्लाई किये गये माल की क्वालिटी व माप के संबंध में निरीक्षण/जांच, टैक्सटाईल कमेटी/किसी भी अन्य विभागीय/राजकीय कमेटी/संस्था से कराई जा सकती है । सप्लाई के समय माल के निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति या महानिदेशक कारागार, राज. द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि या कमेटी द्वारा किया जावेगा ।
7. यदि निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण/टैस्टिंग में माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो निरीक्षण/टैस्टिंग चार्ज बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा ।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं । इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट - ई

लैडर बैल्ट ब्राउन मय कलेप्स कय हेतु शर्तें एवं स्पेशिफिकेशन

सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट 'स' में कं.सं. 1 से 35 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे ।

1. लैडर बैल्ट ब्राउन मय कलेप्स के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन, आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) एफ.ओ.आर. :- केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर।
- (ख) कुल आपूर्ति अवधि :- 25 दिवस
- (ग) मात्रा, नाप एवं रंग :- 1398 सैट
- (घ) स्पेशिफिकेशन :-

लैडर बैल्ट ब्राउन

The leather belt in dark ten shade in good quality of harness leather with buckle as per sealed sample of the Deptt.

Leather Belt Brown

4.5 Cms Wide X 136 Cms Long x 4mm Thick

बैल्ट कलेप्स

- (i) The Belt Clasps consists of 4 pieces weighting 125 Grams :
(a) Buckle (b) Rivet (c) Right hand belt Clasps (d) Left hand belt clasps.
- (ii) All the above pieces should be brass with chromium plating.
- (iii) The belt clasps should be completed in all respect and well polished.
- (iv) The belt clasps should be of the weight as that of sealed sample of the department and only 4% variation is permissible.
- (v) The design/shape size and marking on belt clasps will be strictly according to the sealed of the department.
- (vi) Serial No. and Name of the will be engraved/ embossed on the circular belt clasps as per sealed sample. The figures will be engraved in English **RAJASTHAN JAIL** and the word "राजस्थान कारागार" and name of the embossed in Hindi. The serial number for whom these are required, will be indicated in the supply order.

नमूना एवं परीक्षण :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना विभागीय नमूना उक्त स्पेशिफिकेशन पैरा-1 (घ) के अनुरूप तथा शेड, डिजाईन, रंग एवं पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। विभागीय नमूना किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट, जयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बैल्ट कलेप्स पर नं.
2. बोली के साथ सप्लाई किये जाने वाले लैडर बैल्ट ब्राउन मय बैल्ट कलेप्स के एक सीलड सैम्पल हस्ताक्षरशुद्ध कपडे में सील कर प्रस्तुत किये जावे।
3. आपूर्ति से पूर्व बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का अनुमोदन केवल रंग एवं पैटर्न के संबंध में ही विभाग द्वारा किया जावेगा। माल के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री (चमड़ा) की गुणवत्ता एवं Dimension के संबंध में विभाग द्वारा बोलीदाता के माल की जांच केवल आपूर्ति होने पर ही की जावेगी। अतः बोलीदाता के सैम्पल का विभाग द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व अनुमोदन उसकी गुणवत्ता अथवा Dimension का अनुमोदन नहीं है।
4. उपरोक्त पैरा 1 में अंकित स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के स्तर, पैटर्न, शेड आदि के बारे में किसी भी प्रकार के संशय हो तो यह सैम्पल प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता द्वारा स्पष्ट करा लिया जावे।
5. विभागीय नमूना तथा IS स्पेशिफिकेशन में विरोधाभास प्रतीत होने पर बोलीदाता द्वारा करार निष्पादन से पूर्व इसे महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर से समाधान करवाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।

6. सप्लाई के समय माल का गुणात्मक परीक्षण/रसायनिक विश्लेषण सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराया जावेगा। प्राप्त प्रदायगी में से, परीक्षण हेतु सैम्पल विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा रेण्डम आधार पर लिये जावेंगे। जिनका परीक्षण उक्तानुसार किसी भी प्रयोगशाला से कराया जा सकेगा।
7. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण कराया जाना है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नहीं है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेंगे।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं। इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण रूप में)